भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 240

(दिनांक 19.07.2022 को उत्तर देने के लिए)

मीडिया के माध्यम से अवैध सट्टा और जुआ

240. डॉ वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री बिद्युत बरन महतोः
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
श्रीमती कविता मलोथू:
श्री सुब्रत पाठकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री रवि किशन:
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:
श्री रविन्दर कुशवाहाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी और जुआ देश में उपभोक्ताओं विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए गंभीर वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार देश में विभिन्न खेलों (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में सट्टेबाजी के प्रसार से अवगत है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सभी प्रकार के मीडिया में भ्रामक विज्ञापन होते हैं और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से बचने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को कोई सलाह जारी की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से इस तरह की अवैध सट्टेबाजी और जुए को रोकने के लिए कोई सख्त कानून लाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कानून कब तक लागू होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख): "सट्टेबाजी और जुआ" भारतीय संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 34 और 62 के अंतर्गत आते हैं जिसमें राज्यों द्वारा उनके विनियमन के लिए प्रावधान है। तत्कालीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के आधार पर, अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्र में सट्टेबाजी और जुए से निपटने के लिए अपने कानून बनाए हैं।

(ग): केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि उत्पादों के ऐसे विज्ञापन जो सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, वाइन, शराब आदि के ब्रांड एक्सटेंशन हैं, वे केवल कुछ निर्दिष्ट शर्तों और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा पूर्व-प्रमाणन के तहत ही टीवी पर प्रसारित किए जा सकते हैं।

उपभोक्ता कार्य विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 09 जून, 2022 को भ्रामक विज्ञापनों का निवारण और भ्रामक विज्ञापनों के लिए पृष्ठांकन मार्गदर्शक सिद्धान्त, 2022 अधिसूचित किए हैं, जो सरोगेट विज्ञापनों को प्रतिबंधित करते हैं और अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों को लक्षित विज्ञापनों के संबंध में कई पूर्व-निवारक प्रावधान हैं।

(घ) से (च): इस मंत्रालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के वे विज्ञापन, जो भ्रामक हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन संहिता, और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, का प्रकाशन रोकने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को दिनांक 13.06.2022 को एक एडवाइजरी जारी की।

*****